कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या- 180 /एस0पी0ए0-2019 दिनांक अप्रैल 30 ,2019

1- उप जिलाधिकारी भटवाड़ी एवं बड़कोट
2- सेक्टर मजिस्ट्रेट, चारधाम यात्रा, श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम।

विषय- श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम को यात्रा के दौरान धूम्रपान रहित क्षेत्र के संबंध में ।

उपरोक्त विषयक दिनांक 07-05-2019 को श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा का शुभारम्भ हो जायेगा। यात्राकाल के दौरान श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम में देश-विदेश से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का काफी आवागमन होता है। स्वच्छता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उक्त दोनों धामों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय वितरण का विनियमन) **COTPA ACT-2003** के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध से संबंधित नियम की धारा-4 का अनुपालन किया जाना है।

अत: आप श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम में धारा-4 का अनुपालन एवं उक्त क्षेत्र को धूम्रपान रहित बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner

-महत्वपूर्ण-

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 155 /एस0पी0ओ0-2019 दिनांक अप्रैल 05, 2019

सहायक रिटर्निंग ऑफीसर,
पुरोला/डुण्डा/भटवाड़ी।

दिनांक 11-04-2019 को सामान्य लोकसभा निर्वाचन-2019 का मतदान होना है। मतदान केन्द्रों पर स्वच्छता एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धुम्रपान आदि का वर्जित होना आवश्यक है। COTPA ACT-2003 के तहत भी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि मतदान की तिथि को सभी मतदान केन्द्रों एवं मतदान परिसरों में धुम्रपान/तम्बाकू आदि का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध करना सुनिश्चित करें।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- नोडल अधिकारी (SVEEP)/जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त के सम्बन्ध में समस्त मतदेय स्थलों पर स्टीकर लगवाना एवं इसका वृहद प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner